राजस्थान में स्थायी लोक अदालतों का अक्रियाशील होना

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने में विलंब के कारण राज्य के **16 ज़िलों में** स्थायी लोक अदालतें (PLAs) **स्थगित कर दी गई हैं**, जिससे हज़ारों लंबित मामलों के समाधान में विलंब हो रहा है।

- राज्य **विधिक सेवा प्राधिकरण ने** 3 मई 2025 को स्पष्ट किया था कि जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वे विवाद समाधान **में भाग नहीं ले सकेंगे।**

नोट: अकेले जोधपुर में **972 से अधिक मामले लंबित हैं**, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनुसार ज़िलों में कुल लंबित मामलों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है।

मुख्य बिंदु

न्यायिक प्रतिक्रिया

- **राजस्थान उच्च न्यायालय ने** स्वतः संज्ञान लिया और न्याय तक पहुँच तथा **निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर** इसके गंभीर प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।
- उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने **बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ (2012) में** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जो मनमाना या दुर्भावनापूर्ण पाए जाने पर नीतिगत निर्णयों की **न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है।**
- मामले की कार्यवाही में सहायता के लिये उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है।
  - एमिकस क्यूरी (शाब्दिक अर्थ, **"न्यायालय का मित्र"**) वह व्यक्ति होता है, जो **किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है और उसे किसी पक्षकार द्वारा निवेदन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।** इसका कार्य न्यायालय को **सूचना, विशेषज्ञता या किसी मुद्दे पर महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण** प्रदान कर सहायता करना होता है।

स्थायी लोक अदालतें (PLAs)

- **परिचय:**
  - PLAs विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 **की धारा 22-B के तहत कार्य करती हैं।**
  - **यह** एक वैधानिक निकाय है, जिसे मुख्यतः **पूर्व-विवाद सुलह और समझौते** को सुनिश्चित करने के लिये स्थापित किया गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जो **लोक उपयोगिता सेवाओं** से संबंधित हों।
  - PLAs पक्षकारों को मुकदमा दायर करने से पहले **सुलह का प्रयास करने हेतु एक अनिवार्य मंच** प्रदान करता है।
    - हालाँकि, **लोक अदालतों** को **लंबित मामलों** के साथ-साथ **मुकदमा-पूर्व मामलों** पर भी **क्षेत्राधिकार** प्राप्त है।
    - PLAs आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों का निर्णय नहीं कर सकते।
- **संघटन:**
  - प्रत्येक **स्थायी लोक अदालत** में शामिल होते हैं:
    - एक **अध्यक्ष** (आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी) और
    - सार्वजनिक सेवा या **कानून** में अनुभव वाले दो अन्य सदस्य।
- **बाध्यकारी प्रकृति:**
  - स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय **अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।**
  - यदि दोनों पक्ष आपसी समझौते पर पहुँचने में असफल रहते हैं, तो **PLAs को मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है।**
  - इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे त्वरित एवं निर्णायक समाधान सुनिश्चित होता है।

PLAs के गैर-कार्यशील होने के निहितार्थ

- **न्याय तक पहुँच:** लोक अदालतें वहनीय और त्वरित न्याय के लिये एक महत्त्वपूर्ण तंत्र हैं, विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये।
- **लंबित मामले:** इस स्थगन से वर्तमान **लंबित मामलों** में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे विवाद समाधान और भी अधिक विलंबित हो जाएगा।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) ढाँचे में व्यवधान :** इस स्थगन वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को कमज़ोर करता है, जिससे अधिक मामले नियमित अदालतों में वापस चले जाते हैं।
- **वादियों की अनिश्चितता:** अधिकारियों के कार्यकाल समाप्त होने के कारण लंबित निर्णयों के कारण वादी को **लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है**, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास कम होता है।

लोक अदालत

- **लोक अदालत या जन अदालत: न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व विवादों को समझौते या सौहार्दपूर्ण समाधान** के माध्यम से निपटान हेतु एक वैकल्पिक मंच है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा है कि लोक अदालत न्यायनिर्णयन की एक **प्राचीन भारतीय प्रणाली है** जो आज भी प्रासंगिक है और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
  - **यह** वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंबित मामले के संदर्भ में भारतीय न्यायालयों को राहत प्रदान करना है।
- **उद्देश्य: इसका उद्देश्य** नियमित न्यायालयों में होने वाली लंबी और महँगी प्रक्रियाओं के बिना **त्वरित न्याय** प्रदान करना है।
  - लोक अदालत में **किसी की हार या जीत नहीं होती है, इसमें** विवाद समाधान हेतु एक **सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है।**
- **कानूनी ढाँचा: प्रारंभ में** कानूनी प्राधिकार के बिना एक **स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य करते हुए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा** लोक अदालतों को **वैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया।
  - **इस अधिनियम द्वारा संस्था को न्यायालय के आदेश** के समान प्रभाव वाले अधिकार प्रदान किये गए।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/non-functioning-of-permanent-lok-adalats-in-rajasthan